न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स/7/2017

1–तुलाराम पुत्र किरोडी
2–नबाव सिंह पुत्र रघुनाथ
3–सीताराम पुत्र पीतमसिंह
4–माधवसिंह पुत्र अखैसिंह — जाति जाट — निवासी ग्राम बछामदी तहसील नदबइ
5–प्रतापसिंह पुत्र माखनसिंह
6–प्रेमसिंह पुत्र कृपालसिंह
7–बबलू पुत्र भरतसिंह
8–केहरी पुत्र दिगपालसिंह
9–पूरनसिंह पुत्र अखैसिंह
10– सुरेश पुत्र केवलराम जाति ब्राहमण

.......प्रार्थीगण

बनाम

1–पंचमसिंह
2–महेन्द्रसिंह — पुत्रान खैमसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
3–गोरधनसिंह
4–भूदेवसिंह
5–बाबूसिंह — पुत्रान बनैसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
6–भगवान सिंह
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

......अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत हाल आरजी खसरा नं0 2229 साविक खसरा नं0 1864 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई के कम में।

उपस्थित :–

1–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक अप्रार्थी

Web Copy - Not Official

रेफरेन्स संख्या 7/2017
तुलाराम बनाम पंचम

निर्णय

दिनांक 28.05.2019

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2035 ग्रांम बछामदी तहसील नदबई , जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर 1864 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा किस्म जमीन चारागाह भूमि मालकान सरकारी खाते में दर्ज रिकार्ड है जिसका हाल खसरा नं0 2229/0.43 बाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपूर बन्दोबस्त विभाग से निर्मित किया है। यह वर्तमान में आराजी अप्रार्थीगण एक लगाय छः के नाम व हैसयित खातेदार काश्तकार दर्ज है। लेकिन यह गैर कानूनी है। चंकू आराजी चारागाह की है जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 खातेदारी या गैरखातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अप्रार्थी व उनके पूर्वज खेमसिंह व बनयसिंह ने गलत प्रकार से चारागाह की आराजी पर गैर कानूनी रूप से नामान्तरण संख्या 316 से एवं स्वयं को गैर खातेदार दर्ज करवा लिया है। जमाबन्दी सम्वत 2035 नामानतरण संख्या 316 सम्वत 2038 में मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दी पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान खातेदारी इन्द्राज चारागाह की आराजी पर गैर खातेदारी के नामान्तरण संख्या 316 से प्राप्त की है। जो गैर कानूनी है। इस प्रकार बिना किसी आदेश के चारागाह भूमि पर दी गई खातेदरी नियम विरूद्व एवं निरस्त योग्य है। यह कि हाल भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा ग्राम बछामदी के साविक खसरा नम्बर 1864 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा हाल खसरा नं 2229/.43 हैक्टेयर बनाये गये हैं। इस प्रकार चारागाह भूमि पर साविक खसरा नम्बर 1864 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा हैक्टेयर चारागाह भूमि दर्ज किया गया है। रकवा हाल खसरा नं0 2229/.43 मे दर्ज रिकार्ड है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 1864 चारागाह भूमि 1 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2229 बनाया है। गलत तरीके से नामान्तकरण संख्या 316 से खातेदारी कराली है। साविक खसरा नं0 1864 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा में से हाल खसरा नं0 2229 में सेटलेमेन्ट में बढा दिया गया है। 43 एयर दे दिया है। जबकि 27 एयर होना था। सम्वत 2035 की जमाबन्दी में ग्रामवासियान द्वारा चारागाह किस्म 1814 चारागाह लिखी हुई है। सिवायचक नहीं है। चारागाह है। सन 1981 में एलोटमेन्ट हुआ है। चारागाह से दाखिला खारिज हुआ है। खसरा नम्बर 1864 चारागाह भूमि 1 बीघा 14 बिस्वा चारागाह भूमि को अप्रार्थी 1 लगायत 6 तक को गैर खातेदार दर्ज

Web Copy - Not Official

किया गया है। जो नियमों के खिलाफ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के ऐसी भूमियों का आंबटन नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर चारागाह है जिस पर नियम विरुद्व किया आबटन एवं उस पर किये गैर खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराया जाना आवश्यक है। गलत आदेश के विरुद्व कभी भी निजी व्यक्ति द्वारा रेफरेन्स किया जा सकता है। एवं अभिभाषक ने हमारा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ – 10 राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है चारागाह भूमियों/जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) **और तालाबों** (ponds) **की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे** आकर्षित करते हुये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस में जाहिर किया है कि न्यायालय हाजा धारा 82 एल. आर.एक्ट में रेफरेन्स पेश किया है।प्रार्थियान को कोई भी हित आराजी साविक व हाल में न होने प्रार्थनापत्र रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं जमाबन्दी सम्वत 2069 लगाय 2072 अप्रार्थी उत्तरदाता गण हाल खसरानं 2229 रकव 43 एयर में 1/2 हिस्से के बाबू भबवानसिंह बनयसिंह 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं प्रार्थीयान का कोई व्यक्तिगत हित आराजी में नियत नहीं है। आराजी का आवंटन भूराजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 23.10.1977 में किया गया है। आराजी खसरा नं0 1470 के बादद सेटिलमेन्ट ने जो खसरा नं0 1894 बनाया था। उस समय भूमि का वर्ग बंजर प्रथम था। इस प्रकार रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र अधिक समय बाद प्रस्ततु किया है। प्रार्थीयान को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। रेफरेन्स सरकार प्रस्तुत कर सकती है।यह आपसी पार्टीबन्दी के आधार पर प्रस्तुत किया है। रेफरेन्स खारिज किया जाने की अपील की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी जरिये अलोटमेंट से अप्रार्थीगण के पिता खेमसिंह व बनयसिंह को आवंटित हुईं है। आवंटन प्रमाण पत्र में भूमि की किस्म बंजर प्रथम दर्ज है। तथा जरिये नामान्तरण संख्या 316 से अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री खेमसिंह व बनयसिंह विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज हुआ है। मृतक खैमसिंह बनयसिंह के फोत हो जाने के बाद विरासतन अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत रेफरेन्स अलोटमेंन्ट आदेश प्रार्थी द्वारा लगभग 47 साल बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। है।

विवादित आराजी में प्रार्थी का कोई हित नीयत नहीं हे। और न ही वो आवंटन आदेश से परिवित है। एलोटमेंट नियम विरूद्व होता तो तहसीलदार नियमों के तहत पेश कर सकता था। जरिये एलोटमेंट नामान्तकरण आबादीगण के पूर्वज खेमसिंह बनयसिंह व उनके वारिसयान विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के द्वारा किसी की खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार नदबई रेफरेन्स प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official